प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2019

विषयः-प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोक वाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रक्ट पोर्टल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 से आच्छादित सेवाओं-खाद्य कारोबारकर्ताओं का पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति को जन सामान्य तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जनहित गारंटी के सम्बन्धित सेवाओं को जन सामान्य तक पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की निम्नांकित सेवाओं को, जिन्हें अब तक भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एफ.एल.आर.एस. पोर्टल से उपलब्ध कराया जाता रहा है, उन्हें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से भी जन सामान्य को आन लाइन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) खाद्य पदार्थों के लिए अनुज्ञप्ति की स्वीकृति करना।
(2) खाद्य पदार्थों के लिए पंजीकरण करना।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की उक्त चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करने के उपरान्त उपरोक्त सुविधायें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से भी आमजन को उपलब्ध होंगी। उक्त सुविधाओं का लाभ जन सेवा केन्द्रों/लोक वाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त करने वाले नागरिकों द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दरों के अनुसार किये जायेंगे। सम्प्रति आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 से निर्गत शासनादेश संख्या-11/2016/11/78-2-2016-34आई.टी./2010, दिनांक 04.02.2016 (आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार उपरोक्त सेवाओं हेतु रू0 20.00 मात्र भुगतान किये जायेंगे।

3- यदि कोई नागरिक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभागीय पोर्टल एफ.एल.आर.एस. (https://foodlicensing.fssai.gov.in) अथवा ई-डिस्टिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) पर उक्त सेवाओं हेतु सीधे आवेदन करता है, तो उस पर उपरोक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यूजर चार्जेज लागू नहीं होगें, किन्तु आवेदक द्वारा ई-डिस्टिक्ट पोर्टल से विभाग की सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों/लोक वाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों में जाकर आपरेटर के माध्यम से सुविधायें प्राप्त की जाती हैं, तो आवेदक द्वारा प्राप्त की सम्बन्धित सेवा के लिए प्रस्तर-2 में निर्धारित यूजर चार्जेज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

4- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा, जिस तरह से वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर सीधे आये आवेदनों को प्रोसेस कर रहे हैं।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त डिलेवरी प्वाइंट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/लोक वाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलेवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-01/2019/185/अट्ठासी-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-हेतु प्रेषित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त डिलेवरी प्वाइंट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/लोक वाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलेवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।
4- समस्त मण्डलीय सहायक आयुक्त (खाद्य), उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश।
6- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
7- एस.आई.ओ. योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रभात कुमार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।